# सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली-110001
फैक्सः 23364197
ई-मेलः mplads@nic.in

**सं.सी/16/2009-एमपीलैड्स** **दिनांकः 26.10.2010**

सेवा में,

आयुक्त,
दिल्ली/कोलकाता/ चेन्नई/मुंबई के नगर निगम आयुक्त
सभी जिलों के जिला कलेक्टर /जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त ।

**विषयः न्यासों/सोसाइटियों के माध्यम से जनोपयोगी भवनों से संबंधित कार्यों के सृजन के लिए एमपीलैड्स निधियों की सिफारिश के संबंध में अतिरिक्त शर्तें ।**

उपरोक्त विषय पर दिनांक 08.04.2010 के इस मंत्रालय के समसंख्यक पत्र के अधिक्रमण में तथा सांसदों द्वारा न्यासों के परस्पर वित्तपोषण को टालने के मद्देनजर, यह स्पष्ट किया जाता है कि एमपीलैड्स संबंधी दिशा-निर्देशों के पैरा 3.21 को अब इस प्रकार पढ़ा जाएगाः-

**पैरा 3.21**

"योजना के अंतर्गत पंजीकृत सोसाइटियों/न्यासों के लिए सामुदायिक अवसरंचना और जनोपयोगी भवन कार्य अनुमेय हैं बशर्ते सोसाइटी/न्यास समाज सेवा/कल्याण गतिविधियों में लगे हुए हैं और पिछले तीन वर्षों से अस्तित्व में हैं । सोसाइटी/न्यास का अस्तित्व उस दिन से माना जाएगा, जिस तिथि से उक्त क्षेत्र में उनकी गतिविधियां शुरू हुईं अथवा संगत पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत जिस तारीख को उनका पंजीकरण हुआ हो, जो भी बाद में हो । लाभार्थी सोसाइटी/न्यास एक सुव्यवस्थित, लोकप्रिय, बिना लाभ के काम करने वाली, क्षेत्र में अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त संस्था होगी । ऐसी सोसाइटी/न्यास ख्याति प्राप्त है या नहीं, इसका निर्णय संबद्ध जिलाधिकारी, बुनियादी संगत कारकों जैसे समाज सेवा के क्षेत्र में निष्पादन, कल्याण गतिविधियां, उसकी गतिविधियों का गैर-लाभकारी रूझान, उसकी गतिविधियों में पारदर्शिता और सुदृढ़ वित्तीय स्थिति, के आधार पर करेगा । भूमि का स्वामित्व सोसाइटी/न्यास के पास रह सकता है, लेकिन सां.स्था.क्षे.वि.यो. निधियों से निर्मित इमारत राज्य/संघ शासित सरकार की ही संपत्ति होगी । सां.स्था.क्षे.वि.यो. के अंतर्गत निर्मित परिसंपत्ति का प्रचालन, प्रबंध एवं रखरखाव सोसाइटी/न्यास को ही करना होगा । यदि किसी समय, यह ज्ञात होता है कि सां.स्था.क्षे.वि.यो. निधियों से निर्मित्त परिसंपत्ति उस प्रयोजन, जिसके लिए परिसंपत्ति का निधिकरण किया गया था, के लिए प्रयोग में नहीं लाई जा रही है, तो राज्य/संघ शासित सरकार परिसंपत्ति को अपने अधिकार में ले सकती है और सोसाइटी/न्यास से परिसंपत्ति के निर्माण हेतु सां.स्था.क्षे.वि.यो. से दी गई लागत की वसूली और स्वीकृत कार्य के लिए सां.स्था.क्षे.वि.यो. निधि के उपयोग किए जाने की तारीख से गणना करते हुए प्रति वर्ष 18 % की दर से ब्याज भी ले सकती है । इस उद्देश्य से सोसाइटी/न्यास, जिला प्राधिकारी के साथ सरकार के पक्ष में अग्रिम रूप से एक औपचारिक करार (**अनुबंध-V** पर एक नमूना करार दिया गया है) करेगा । यह करार, 10 रूपए अथवा उससे अधिक के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर, जैसा कि उस राज्य/संघ शासित क्षेत्र में लागू हो, संगत पंजीकरण अधिनियम के अधीन पंजीकृत किया जाएगा । पंजीकरण के लिए किसी स्टाम्प शुल्क के भुगतान की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि इसमें परिसंपत्तियों का कोई औपचारिक हस्तांतरण नहीं होता है । किसी सोसाइटी/न्यास विशेष के एक अथवा उससे अधिक कार्यों

के लिए सां.स्था.क्षे.वि.यो. निधियों से 25 लाख रुपए से अधिक व्यय नहीं किया जा सकता । यदि सोसाइटी/न्यास ने सां.स्था.क्षे.वि.यो. निधियों से 25 लाख रुपए की राशि प्राप्त कर ली है, तो योजना के अंतर्गत सोसाइटी/न्यास के लिए किसी और कार्य की अनुशंसा नहीं की जाएगी । किसी सोसाइटी/न्यास को सां.स्था.क्षे.वि.यो. निधियों की अनुशंसा नहीं की जाएगी यदि अनुशंसा करने वाला संसद सदस्य अथवा उसके परिवार का कोई भी सदस्य, उस पंजीकृत सोसाइटी/न्यास का अध्यक्ष/सभापति अथवा प्रबंधन समिति का सदस्य अथवा न्यासी है । परिवार के सदस्यों में संसद सदस्य और संसद सदस्य की पत्नी, जिसमें उनके माता-पिता, भाई एवं बहन, बच्चे, पोते पोतियां और उनके पति अथवा पत्नी और उनके ससुराल के लोग शामिल हैं । सांसदों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाता है कि वे न्यासों/सोसाइटियों को घुमा-फिराकर अथवा परस्पर वित्तपोषण न करके दिशा-निर्देशों की भावना बनाए रखें । इसके अलावा, जब सांसद किसी सोसाइटी/न्यास के लिए निधि की सिफारिश करते हैं और जिला प्राधिकारी कार्य को स्वीकृत करने से पहले जांच के लिए दिशा-निर्देशों के तहत स्पष्टीकरण/दस्तावेज प्रस्तुत करने का अनुरोध करते हैं, तो उक्त सोसाइटी/न्यास को चाहिए कि वह जिला प्रशासन से पत्र प्राप्त होने की तारीख से अधिक से अधिक तीन माह के अंदर अपेक्षित दस्तावेज उपलब्ध करा दे । यदि तीन माह की अवधि बीत जाने के बाद भी दस्तावेज प्राप्त नहीं होते हैं तो जिला प्रशासन एक माह के अंदर दो अनुस्मारक भेज सकता है । यदि इसके बाद भी, अपेक्षित सूचना प्राप्त नहीं होती है तो जिला प्रशासन सोसाइटी/न्यास के लिए सांसद द्वारा की गई सिफारिश को निरस्त मानेगा और इसकी सूचना सिफारिश करने वाले सांसद को देगा ।"

भवदीय

(अनिल कुमार चौधरी)
निदेशक (एमपीलैड्स)

प्रतिलिपि सूचनार्थः

1. सभी माननीय संसद सदस्य (लोक सभा/राज्य सभा) ।
2. एमपीलैड्स (सभी राज्य/संघ शासित क्षेत्र) से संबंधित नोडल विभागों के सचिव ।
3. निदेशक, लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
4. निदेशक, राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
5. एनआईसी, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय तथा एमपीलैड्स प्रभाग में सभी संबंधित अधिकारी ।